VC Facility Inaugurated by the Hon'ble Chief Justice, between Civil Court and District Jail at Jamtara, Jharkhand.

The Hon'ble Chief Justice Smt. Gyan Sudha Mishra, Jharkhand High Court inaugurated the videoconferencing facility between Jamtara District Civil Court and Jail, on 2nd August '09 in the presence of Hon'ble Justice Amrashwar Sahay, Justice N.N. Tiwari, District & Sessions Judge Shri C. P. Asthana, Shri Kripa Nand Jha, Deputy Commissioner and other senior officials. At the other end Shri M. Hussian A.I.G. Prisons, Government of Jharkhand was present on the occasion. He explained to the Chief Justice about the e -governance project under implementation with the support of NIC and gave other details about the District Jail, Jamtara.

The VC inauguration facility was preceded by the inauguration of the new Civil Court and Bar Association Building by the Chief Justice. Speaking on the historic occasion the Chief Justice emphasized that only 'Truth Should Prevail' and called upon the Bar to help in the delivery of quick and timely justice. She also exhorted the advocates to remain updated in their profession.

The VC facility between the Civil court and District Jail was implemented by NIC Jharkhand under the e-governance project for the Department of Home (Jail), Govt of Jharkhand.

(Hon'ble Chief Justice, Smt. Gyan Sudha Mishra, (L) after inaugurating the VC facility at Jamtara, Civil Court)

जामताड़ा

हिन्दुस्तान धनबाद सोमवार, 03 अगस्त, 2009

केवल सत्य की विजय हो: चीफ जस्टिस

■ विडियो कांफ्रेंसिंग हॉल का उद्घाटन

एक संवाददाता जामताड़ा

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के मुख्य न्यायधीश ज्ञान सुधा मिश्र ने कहा कि सत्य और केवल सत्य की विजय हो। इसके लिए सभी को समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए। तभी सत्यमेव जयते चरितार्थ होगी।

मुख्य न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय जामताड़ा के विडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा मंडलकारा जामताड़ा के काराधीक्षक से मुख्य न्यायाधीश ने बात की तथा कारा के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर न्यायमूर्ति अमरेश्वर सहाय, एनएन तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र प्रकाश अस्थाना, उपायुक्त केएन झा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

नियमित रूप से पढ़ाई करें अधिवक्ता

जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन झारखंड की मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा ने किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से नियमित रूप से पढ़ाई करने तथा अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करने की सलाह दी।

उन्होंने बार और बेंच के संबंधों को धैर्य के साथ तथा परस्पर सहभागिता के तहत कार्य को निष्पादित करने की सलाह दी।

विडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा मंडल कारा से बात करती मुख्य न्यायाधीश।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभा समस्याओं का समाधान प्री लिटिगेशन के तहत संभव है। अधिवक्ताओं का न्यायालय आने के पूर्व पूरी तैयारी करनी चाहिए। कुशाग्रता एवं सहज तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना संभव है। प्रारंभ में जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा नवनिर्मित न्यायालय परिसर में गवाहों के ठहरने की व्यवस्था, परिसर में गवाहों के ठहरने की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल, स्टाम्प भेंडरे व अधिवक्ता लिपिक एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग किया गया। इस अवसर मंच संचालन अरूण कुमार बोस ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन रिजवान उल हक ने किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, नगर अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल, भाजपा जिलाध्यक्ष तारा प्रसन्न महतो उपस्थित थे।

कार्यक्रम में उपस्थित लोग ।

(**Above -**The Chief Justice conferencing over the new VC facility.
Below – Inaugurating the Civil Court Building, Jamtara)

लगन से काम करें न्यायिक पदाधिकारी: मिश्र

■ मुख्य न्यायाधीश ने किया जामताड़ा व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन

एक संवाददाता जामताड़ा

झारखंड उच्च न्यायालय रांची की मुख्य न्यायाधीश श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्रा ने रविवार को नवनिर्मित व्यवहार न्यायालय जामताड़ा के भवन का उद्घाटन किया।

4.05 करोड़ रुपये की लागत से बने इस नवनिर्मित न्यायालय भवन का उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि न्यायिक पदाधिकारी लगन से कार्य करें। मुवक्किल को न्याय दें। उन्होंने कहा कि वकील अपनी छवि को सही रूप से

व्यवहार न्यायालय का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करती मुख्य न्यायाधीश

कार्य में लगावे। रांची के बाहर पहली बार सिविल कोर्ट भवन का उद्घाटन करने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यवहार न्यायालय जामताड़ा के नवनिर्मित भवन को देखकर महसूस हो रहा है कि यहां सांस लेन की जगह है।

उन्होंने कहा कि बैंच व बार साथ मिलकर स्वच्छ न्याय प्रदान करने का प्रयास करे। मुवक्किल बदले की भावना या परेशान करने की नियत से अदालत की शरण में न आवे। तभी उचित न्याय मिल सकता है। इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमरेश्वर व न्यायमूर्ति एनएन तिवारी भी उपस्थित थे। स्वागत भाषण जामताड़ा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र प्रकाश अस्थाना ने दिया।